न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 977/2026

C.I.S. No. 1092/2026

अरबाज पुत्र श्री इकबाल खान, उम्र करीबन 18 साल 03 माह, निवासी चांदोली, पुलिस थाना विजय मंदिर, जिला अलवर हाल पडिसल फाटक के पास, जगता बसई, पुलिस थाना विजय मंदिर, जिला अलवर (राज.)

---**प्रार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---**विपक्षी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2026, पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 61(2)(क), 112(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1-श्री इमरान खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 20.08.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2026, पुलिस थाना विजय मंदिर, जिला अलवर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी निहाल सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना विजय मंदिर, ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि साईबर सैल से प्राप्त म्यूल खाता संख्या 143900170095711 के संबंध में साईबर पोर्टल पर साईबर फ्रॉड की शिकायतें होना पाये जाने पर उक्त खाता की जांच करने पर उक्त खाते का धारक अरबाज होना पाया गया। दौराने जांच दिनांक 29.07.2026 को मय जाब्ता के थाने से रवाना होकर गश्त करता हुआ चांदोली व पडिसल फाटक पहुंचा तो वहां खाता धारक अरबाज मौजूद मिला, जिससे उक्त खाता के संबंध में पूछताछ करने पर

बताया कि वह उसका स्वयं का खाता है जो उसने अबरार को दे रखा है, जो लोगों से साईबर फ्रॉड कर उस खाते में पैसे डालता रहता है, जिसके बदले में वह साईबर फ्रॉड के डाले हुए पैसों का 15 प्रतिशत कमीशन लेता है। वह पैसे अबरार को निकालकर दे देता है तथा अपना कमीशन प्राप्त कर लेता है .....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना विजय मंदिर, अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट में दर्ज कर तफतीश प्रारंभ की गई। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.07.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2026 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त 19 वर्ष का नवयुवक है। उसने कोई साईबर अपराध कारित नहीं किया है। ऐसा कोई भी परिवादी उपस्थित नहीं हुआ है, जिसने अभियुक्त द्वारा साईबर अपराध किये जाने संबंधी कथन किये हो। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में किसी प्रकार से कोई राशि जमा हुई हो तो उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं पीडित व्यक्ति रहा है, जिसका खाता अन्य व्यक्तियों ने गलत रूप से काम में लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व के आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। अतः उक्त आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते के संबंध में 02 साईबर शिकायतें, साईबर पोर्टल पर दर्ज है, जिसमें से 01 शिकायत 10,000/-रूपये के साईबर फ्रॉड के संबंध में है तथा दूसरी शिकायत पृथक-पृथक राशियों, कुल 2,81,000/-रूपये के साईबर फ्रॉड से संबंधित है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में साईबर फ्रॉड के जरिये 2,91,000/-रूपये प्राप्त हुए हैं। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए, छोटे संगठित अपराध में

लिप्त रहते हुए, साईबर फ्रॉड करने हेतु साईबर अपराधियों को विभिन्न खातें उपलब्ध कराकर, उनमें साईबर फ्रॉड से प्राप्त राशि डलवाकर, कमीशन प्राप्त कर, लोगों से छल कारित करने व विभिन्न लोगों को बेईमानी से उत्प्रेरित कर रूपये ऐंठे जाने संबंधी धारा 318(2), 318(4), 112(2), 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आई.टी.एक्ट के आरोप में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।

7- केस डायरी के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में बडी रकम साईबर फ्रॉड के माध्यम से प्राप्त होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य साईबर अपराधियों के साथ मिलकर, अपना खाता साईबर अपराध के लिए उपलब्ध कराया जाना भी प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल में साईबर अपराध के संबंध में चैट किया जाना भी अनुसंधान से पाया गया है। अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि साईबर फ्रॉड के संबंध में की गई एक शिकायत में प्रार्थी/अभियुक्त के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 1439001700095711 में 10,000/-रूपये प्राप्त होना और दूसरी शिकायत में भिन्न-भिन्न राशियों के कुल 2,81,000/-रूपये साईबर फ्रॉड के प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त खाते में प्राप्त होना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध साईबर फ्रॉड करने संबंधी गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप है। इस तरह के साईबर फ्रॉड राष्ट्रीय स्तर पर बडे पैमाने पर कारित हो रहे हैं।

8- साईबर क्राईम के मामलों में अलवर क्षेत्र विगत कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात रहा है एवं अलवर के क्षेत्र विशेष में साईबर अपराधों का सेंटर बना होना भी विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया खबरों के माध्यम से पढने-सुनने को मिलता है। इस प्रकार के मामलों में यदि जमानत का लाभ प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ठगी के मामलों को बढावा मिलेगा एवं इससे समाज में न्यायालयों के प्रति अविश्वसनीयता की भावना बढेगी। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझता हूं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

9- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त अरबाज पुत्र श्री इकबाल खान की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

10- आदेश आज दिनांक 20.08.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर